न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(अलवर)
पीठासीन अधिकारी :– मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)

दावा सख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
56 / 2023	08.02.2023	19.06.2023

उनवान

1. महावीरप्रसाद पुत्र रामजीलाल जाति अहीर निवासी ग्राम काठूवास तह0 नीमराना जिला अलवर। :–वादी।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार,नीमराना।
:– प्रतिवादी।

दावा अन्तर्गत धारा 88,89 आर0टी0एक्ट0 बाबत दुरूस्ती इन्द्राजात।

परिस्थितीः–
1. श्री प्रमोद कुमार एड0 वादी की ओर से।
2. प्रतिवादी के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही।

–::निर्णय::–

त्रावली पेश हुई। दावा के सूक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से है–

1. वादी ने वाद पेशकर निवेदन किया कि आराजी ख.नं.हाल 543 / 0.0545,553 / 0.2655 वाकें ग्राम काठूवास के हिस्सा 1 / 304 का व ख.नं. 601 / 0.43 वाके ग्राम काठूवास के हिस्सा 1 / 110 व ख.नं. 481 / 0.33,482 / 0.07,483 / 0.12 वाके ग्राम काठूवास के हिस्सा 1 / 6 व ख.नं. 02 / 0.38,03 / 0.37,392 / 0.35,393 / 0.18,394 / 0.23,743 / 0.60 वाके ग्राम काठूवास के हिस्सा 1 / 9 व 535 / 0.93 के हिस्सा 1 / 16 व ख.नं. 528 / 3.29 वाके ग्राम काठूवास के हिस्सा 1 / 16 का मिन वादी खातेदार काश्तकार है।
2. मिन वादी का सही व वास्तविक नाम महावीरप्रसाद पुत्र रामजीलाल है।यही नाम मिन वादी के वोटर पहचान पत्र,परिवार राशन कार्ड तथा शिक्षा के कागजात आदि मे दर्ज है। लेकिन उक्त आराजी मे मिन वादी का गांव मे बोलता नाम लाला पुत्र रामजीलाल गलत दर्ज कर दिया गया जिस गलत नाम की जानकारी मिन वादी को अब आराजी पर किसान केडिट कार्ड बनवाने के लिए जमाबंदी की नकले ली तब पटवारी हल्का ने बताया कि राजस्व रिकॉर्ड मे आपका नाम गलत दर्ज है,तब मिन वादी दिनांक 06.02.2023 तहसीलदार साहब से मिला तो उन्होंने रिकॉर्ड देख कर कहा की दुरूस्ती का दावा पेश करो। इसलिए वादी को राजस्व रिकॉर्ड मे अपने नाम मे दुरूस्ती के लिए न्यायालय श्रीमान मे यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ है।
3. अन्त मे वादनी ने अपने वाद को निम्न प्रकार डिक्री किए जाने की प्रार्थना कि हैः–
(क) डिक्री दुरूस्ती इन्द्राज इस अमर की जारी की जावे कि आराजी ख.नं. हाल 543 / 0.0545,553 / 0.2655 वाकें ग्राम काठूवास के हिस्सा 1 / 304 का व ख.नं. 601 / 0.43 वाके ग्राम काठूवास के हिस्सा 1 / 110 व ख.नं. 481 / 0.33,482 / 0.07,483 / 0.12 वाके ग्राम काठूवास के हिस्सा 1 / 6 व ख.नं. 02 / 0.38,03 / 0.37,392 / 0.35,393 / 0.18,394 / 0.23,743 / 0.60 वाके ग्राम काठूवास के हिस्सा 1 / 9 व 535 / 0.93 के हिस्सा 1 / 16 व ख.नं. 528 / 3.29 वाके ग्राम काठूवास के हिस्सा 1 / 16 के हाल राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी के खातेदारी कॉलम मे जहॉ पर वादी का नाम लाला पुत्र रामजीलाल दर्ज किया हुआ है उसे मिन वादी के वोटर पहचान पत्र,परिवार राशन कार्ड व शिक्षा के कागजात व सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर दुरुस्त किया जा कर उसके स्थान पर "महावीरप्रसाद पुत्र रामजीलाल" दर्ज किए जाने की घोषणा फरमाई जावे एंव इसी अनुसार हाल राजस्व रिकार्ड मे वादी का नाम दुरूस्त किये जाने के आदेश फरमायें जावे।

अधिकारी
(अलवर)
S-44/2023

खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादी से दिलवाया जावे।

(ख) खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादी से दिलवाया जावे।

(ग) दीगर दादरसी जो न्यायालय श्रीमान उचित समझे सादीर फरमाई जावे।

4. दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया । बाद तामिल प्रतिवादी न्यायालय हाजा मे उपस्थित नही हुये लिहाजा उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई।

5. वादी ने अपने वाद की पुष्टि मे साक्ष्य के रूप स्वयं का शपथ पत्र पी0डब्लू0 01,शिवकुमार पुत्र रामेश्वरदयाल का शपथ पत्र पी0डब्लू0 02,रतनसिंह पुत्र अमरसिंह का शपथ पत्र पी0डब्लू0 03 पेश किए है तथा दस्तावेजी साक्ष्य मे नकल जमाबन्दी संवत 2074–77 प्रदर्श 01, आधार कार्ड की छायाप्रति प्रर्दश 02,विधालय टी.सी0 प्रर्दश 03, सरपंच ग्राम पंचायत काठूवास का प्रमाण पत्र दिनांक 07.02.2023 पद्रर्श 04,निर्वाचन पहचान पत्र प्रदर्श 05,राशन कार्ड छायाप्रति प्रदर्श 08 पेश किये है।

6. वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली मे वादी द्वारा प्रस्तुत सरपंच ग्राम पंचायत काठूवास प्रमाण पत्र मे वादी का सही नाम''महावीरप्रसाद पुत्र रामजीलाल''होना बताया है,तथा वादी द्वारा प्रस्तुत छायाप्रति आधार कार्ड,राशन कार्ड, वोटर आई डी,अंक तालिका के अवलोकन से साबित है कि वादी का सही नाम महावीरप्रसाद पुत्र रामजीलाल है। वादी द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात के आधार पर वादी का वाद साबित होता है। वाद वादी डिक्री किए जाने योग्य है।

7. अतः आदेश है कि:–

वाद वादी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी एकपक्षीय डिक्री किया जाकर आराजी ख.नं. 543 / 0.0545,553 / 0.2655 वाकें ग्राम काठूवास के हिस्सा 1 / 304 का व ख.नं. 601 / 0.43 वाके ग्राम काठूवास के हिस्सा 1 / 110 व ख.नं. 481 / 0. 33,482 / 0.07,483 / 0.12 वाके ग्राम काठूवास के हिस्सा 1 / 6 व ख.नं. 02 / 0. 38,03 / 0.37,392 / 0.35,393 / 0.18,394 / 0.23,743 / 0.60 वाके ग्राम काठूवास के हिस्सा 1 / 9 व 535 / 0.93 के हिस्सा 1 / 16 व ख.नं. 528 / 3.29 वाके ग्राम काठूवास के हिस्सा 1 / 16 मे वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी मे **लाला पुत्र रामजीलाल** अंकित हो रहा है, जो गलत हैं, जिसे कलमजन किया जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर दुरूस्त किया जाकर वादी का सही नाम **महावीरप्रसाद पुत्र रामजीलाल** अंकित किए जाने के आदेश दिए जाते है। तथा इसी प्रकार से बाद दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड मे अमलदारमद किया जावे। खर्चा वाद वादी स्वयं वहन करेगा। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैशलशुमार होकर दाखिल लेख भण्डार हो।

यह निर्णय आज दिनांक 19.06.2023 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय मे घोषित किया गया।

19/6/2022

मुकुल सिंह (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,नीमराना

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(अलवर)

पीठासीन अधिकारी :– मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)

वाद संख्या [illegible] 2023	रजू दिनांक 08.02.2023	निर्णय दिनांक 19.06.2023

उनवान

1. महावीरप्रसाद पुत्र रामजीलाल जाति अहीर निवासी ग्राम काठूवास तह0 नीमराना जिला अलवर। :–वादी।

बनाम

2. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार,नीमराना।

:– प्रतिवादी।

दावा अन्तर्गत धारा 88,89 आर0टी0एक्ट0 बाबत दुरूस्ती इन्द्राजात।

उपस्थिति:–

1. श्री प्रमोद कुमार एड0 वादी की ओर से।
2. प्रतिवादी के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही।

–::पर्चा डिक्री::–

वाद वादी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी एकपक्षीय डिक्री किया जाकर आराजी ख.नं. 543/0.0545,553/0.2655 वाकें ग्राम काठूवास के हिस्सा 1/304 का व ख.नं. 601/0.43 वाके ग्राम काठूवास के हिस्सा 1/110 व ख.नं. 481/0.33,482/0.07,483/0.12 वाके ग्राम काठूवास के हिस्सा 1/6 व ख.नं. 02/0.38,03/0.37,392/0.35,393/0.18,394/0.23,743/0.60 वाके ग्राम काठूवास के हिस्सा 1/9 व 535/0.93 के हिस्सा 1/16 व ख.नं. 528/3.29 वाके ग्राम काठूवास के हिस्सा 1/16 मे वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी मे **लाला** **पुत्र रामजीलाल** अंकित हो रहा है, जो गलत हैं, जिसे कलमजन किया जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर दुरूस्त किया जाकर वादी का सही नाम **महावीरप्रसाद पुत्र रामजीलाल** अंकित किए जाने के आदेश दिए जाते है। तथा इसी प्रकार से बाद दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड मे अमलदारमद किया जावे। खर्चा वाद वादी स्वयं वहन करेगा।

19/6/2022

मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,नीमराना

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (अलवर)